न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 38/2018
GCMS CASE NO-2018/00016

गुरमीन्द्र सिंह पुत्र श्री लाभसिंह जाति जटसिख निवासी 77 जी.बी. तहसील अनूपगढ़
..............अपीलांट

बनाम

1. गुरनेक सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 17एपीडी तहसील अनूपगढ़
2. गुरपाश सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 17एपीडी तहसील अनूपगढ़
3. गुरमीतकौर पुत्री लाभ सिंह पत्नी अमरीक सिंह जाति जटसिख निवासी रातराना तहसील अनूपगढ़
4. गुरइक सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जरिए पिता गुरनेक सिंह पुत्र लाभसिंह जाति जटसिख निवासी 17एपीडी तहसील अनूपगढ़
5. आकाशदीप सिंह पुत्र गुरपासिंह जरिए पिता गुरपाश सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 17एपीडी तहसील अनूपगढ़
6. तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़

...........रेस्पोंडेंटगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–
1. श्री साहबराम, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बलदेवसिंह एवं श्री राजेन्द्र सिंह रेस्पो0 संख्या 1 ता 5
3. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांक: 12.05.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 19.09.2016 व उसकी रूह से दर्ज इंतकाल संख्या 204 स्वीकृत दिनांक 28.10.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण में अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 के पिता स्व. श्री लाभसिंह के नाम से तहसील अनूपगढ के चक 17 एपीडी का प.न. 270/404 की 3.545 हैक्टर व प.न. 271/404 की 2.480 हैक्टर कुल 6..325 हैक्टर कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। अपीलाण्ट के पिता लाभसिंह का देहान्त दिनांक 12.08.2015 को हो जाने पर आकाशदीप व गुरईकसिंह द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 11.08.2015 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिनांक 19.09.2016 पारित करते हुए वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने के आदेश दे दिये तथा उक्त आदेश की पालना में इंतकाल संख्या 204 दिनांक 28.10.2016 को स्वीकृत किया गया। अत: उक्त आदेशों को निरस्त करने की प्रार्थना की।
3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री साहबराम हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री बलदेव सिंह व राजेन्द्र सिंह हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया [illegible] उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 5 मि[illegible] अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। जिसका ना तो रेस्पोडेंटगण [illegible] जवाब पेश किया गया [illegible] ना ही प्रतिशपथ पत्र पेश किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना में देरी का जो कारण बता[illegible] वह भी सन्तोषजनक है। अत: [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

5. तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 के पिता स्व. श्री लालसिंह के नाम से विवादित भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अपीलांट के पिता लालसिंह का दिनांक 12.8.2015 को देहान्त हो चुका है व अपीलांट की माता का भी देहांत हो चुका है। अपीलांट के पिता के देहांत के बाद अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 उसके जायज विधिक वारिसान है। अपीलांट के पिता के देहांत के बाद अपीलांट व रेस्पोडेंट 1 ता 3 अपने-अपने हिस्सा अनुसार भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट के पिता के देहांत के बाद उक्त समस्त कृषि भूमि को हडपने की नियत से एक फर्जी व कूटरचित वसीयत दिनांक 11.08.2015 अपने पुत्रों रेस्पोंडेंट संख्या 4 व 5 के नाम से तैयार कर ली व उक्त वसीयत को तहसीलदार अनूपगढ के समक्ष पेश कर उक्त फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर उक्त विवादित कृषि भूमि का इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 के नाम से दर्ज करवा लिया गया। अपीलांट के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नहीं की गयी। वसीयत दिनांक 11.08.2015 फर्जी एवं कूटरचित है, क्योंकि अपीलांट का पिता अपीलांट के पास चक 77जीबी में निवास करता था व अपीलांट ही उनकी देखमाल व सार संभाल एवं सेवा चाकरी करता था। अपीलांट के पिता फौत होने से पूर्व बीमार रहते थे व अपीलांट ही उनका ईलाज करवाता था तथा अपीलांट के पिता के देहान्त से करीब 15 रोज पूर्व पीलिया हो गया था व ईलाज हेतु श्री गंगानगर में होस्पीटल में भर्ती थे व डॉक्टर द्वारा ईलाज में असमर्थता जाहिर करने पर अन्य स्थान पर ईलाज हेतु ले जाते वक्त रास्ते में ही दिनांक 12.08.2015 को उनका देहान्त हो गया। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अपीलांट के पिता द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 के पक्ष में दिनांक 11.8.2015 को कोई वसीयत नहीं करवायी गयी उक्त तथाकथित वसीयत रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा वसीयत के गवाहान जो रेस्पोडेंट गुरपाश सिंह के रिश्तेदार से मिलकर फर्जी एवं कूटरचित तैयार की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये, अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट को बिना सुने एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व हांसल समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करवायी गयी। अपीलांट महज साक्षर है व मात्र हस्ताक्षर करना जानता है। अपीलांट को अखबार पढ़ना नहीं आता है और ना ही अपीलांट के चक में अखबार आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस अखबार में सूचना प्रकाशित की गयी वह अखबार अनूपगढ क्षेत्र में वितरित भी नहीं किया जाता है। उक्त अखबार श्री गंगानगर से प्रकाशित होता है व वहीं वितरित किया जाता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने जानबूझ कर उक्त अखबार में सूचना प्रकाशित करवायी गयी है ताकि उक्त सूचना का किसी को पता नहीं चले व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 उक्त फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर गुपचुप तरीके से आदेश करवाकर इंतकाल दर्ज करवा सके। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2016 व उसके अधार पर दर्ज इन्तकाल संख्या 204 स्वीकृत दिनांक 28.10.2016 अपास्त किया जावे।

6. वकील रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील निर्णय दिनांक19.6.2016 तहसीलदार अनूपगढ के विरूद्ध पेश की है, जिसमें वसीयत के आधार पर चक 17एपीडी के प.न. 270/404, 271/407 कुल 6.025 हैक्टर भूमि का इन्तकाल संख्या 204 दर्ज करने के विरूद्ध पेश की है। उक्त नामान्तरकरण दिनांक 28.10.2016 की वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण एफआईआर संख्या 270/2018 पुलिस थाना अनूपगढ में दर्ज करवायी गयी थी, जिसमें पुलिस ने बाद जांच आखरी नतीजा एफआर संख्या 191/2021 अदम बकू झूठ में पेश की है। उक्त एफआर पत्रावली में विवादित वसीयत के दोनो गवाहों व अन्य स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं व उक्त वसीयत के संबंध में एफ.एस.एल रिपोर्ट भी पेश गयी है।

7. वकील रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील निर्णय दिनांक 19.6.2016 तहसीलदार अनूपगढ के विरूद्ध पेश की है, जिसमें वसीयत के आधार पर चक 17एपीडी के प.न. 270/404, 271/407 कुल 6.025 हैक्टर भूमि का इन्तकाल संख्या 204 दर्ज करने के विरूद्ध पेश की है। उक्त नामान्तरकरण दिनांक 28.10.2016 की वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण एफआईआर संख्या 270/2018 पुलिस थाना अनूपगढ में दर्ज करवायी गयी थी, जिसमें पुलिस ने बाद जांच आखरी नतीजा एफआर संख्या 191/2021 अदम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

बकू झूठ में पेश की है। उक्त एफआर पत्रावली में विवादित वसीयत के दोनो गवाहों व अन्य स्वतंत्र गवाहो के बयान दर्ज किए गए है व उक्त वसीयत के संबंध में एफ.एस.एल रिपोर्ट भी पेश गयी है।

8. पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि जैर अपील आदेश पूर्ण जांच उपरांत ही पारित किया गया है। पैरोकार राज ने राज्यहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने की प्रार्थना की।

9. हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन, मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। लाभ सिंह द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2016 को पेश किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ़ द्वारा लाभ सिंह के वारिसान को सुनवाई हेतु नोटिस दिये बिना सीधे ही दैनिक समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध सार्वजनिक सूचना की प्रति से जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस/सूचना दिये जाने संबंधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2016 व उसके आधार पर स्वीकृत चक 17 एपीडी का इंतकाल संख्या 204 दिनांक 28.10.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वसीयतकर्ता का वसीयत निष्पादन के समय स्वस्थचित होने की जांच कर उसके विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष दिनांक 24.07.2023 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष पेश होवे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तकमील नम्बर से कम होकर दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner